

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या- 325 /XXXVI(1)/2015-184/2001 टी0सी0

देहरादून दिनांक: 26 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम-3(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निम्नानुसार सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. श्री एस.एन. बाबुलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल
2. डॉ0 मो0 रफा, विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, डी.ए.वी. कालेज, देहरादून
3. श्री के.पी. काला, अधिवक्ता, देहरादून
4. डॉ0 संजीव शुक्ला, अध्यक्ष, भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी, ऊधमसिंहनगर
5. श्रीमती कमला जोशी, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, हरिद्वार

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या-325 (1)/XXXVI(1)/2015-184/2001 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आसाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव

संख्या-325 (2)/XXXVI(1)/2015-184/2001 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 2- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
- 3- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित सदस्यगण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव

विशेष कार्य अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल